उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग

संख्याः———/VIII-1/19—04(विविध)/2019—टी0सी0—II

देहरादून, दिनांक: 20 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 वर्ष 1948) की धारा 6 सपठित धारा 19 की उपधारा (3) तथा धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम " उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2019" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के नियम 7 के उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

नियम–7. रजिस्ट्रीकरण और लाईसेंस का स्वीकृत किया जाना–(1) कारखाने की रजिस्ट्री की जायेगी और कारखाने के लाईसेंस नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस देने पर मुख्य निरीक्षक द्वारा प्रपत्र–3 में दिया जायेगा।

अधिष्ठापित अश्व शक्ति की मात्रा अधिकतम (अश्व शक्ति)	कलैण्डर वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या						
	50 तक	51 से 150 तक	151 से 250 तक	251 से 500 तक	501 से 1000 तक	1001 से 2500 तक	2500 से अधिक
	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
[illegible]	500	1500	2000	3500	7000	20,000	25,000

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम–7. रजिस्ट्रीकरण और लाईसेंस का स्वीकृत किया जाना–(1) कारखाने की रजिस्ट्री की जायेगी और कारखाने के लाईसेंस नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस देने पर मुख्य निरीक्षक द्वारा प्रपत्र–3 में दिया जायेगा।

अधिष्ठापित अश्व शक्ति की मात्रा अधिकतम (अश्व शक्ति)	कलैण्डर वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या					
	50 तक	51 से 150 तक	151 से 250 तक	251 से 500 तक	501 से 1000 तक	[illegible] से 2500 तक
	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	[illegible]
शून्य	[illegible]					

Scanned by CamScanner

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50 से अधिक किन्तु 100 से अनधिक	2500	5500	7500	11500	20,000	40,000	45,000
100 से अधिक किन्तु 500 से अनधिक	5000	11500	14500	19500	29000	50000	55000
500 से अधिक किन्तु 1000 से अनधिक	10,000	15000	19000	25000	36000	60000	65000
1000 से अधिक किन्तु 2000 से अनधिक	12000	20000	23000	30000	38000	65000	70000
2000 से अधिक किन्तु 5000 से अनधिक	14000	25000	30000	35000	42000	70000	75000
5000 से अधिक	16000	27000	32000	37000	50000	75000	80000

परन्तु यह कि आगामी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की प्रथम तारीख से विद्यमान शुल्क में स्वतः दस प्रतिशत की वृद्धि समझी जायेगी।

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50 से अधिक किन्तु 100 से अनधिक	4000	8900	12100	18500	32200	64400	[illegible]
100 से अधिक किन्तु 500 से अनधिक	8100	17700	23400	31400	46700	[illegible]	
500 से अधिक किन्तु 1000 से अनधिक	16100	24200	30600	40300	57800	[illegible]	[illegible]
1000 से अधिक किन्तु 2000 से अनधिक	19300	32200	37600	48300	64200	[illegible]	
2000 से अधिक किन्तु 5000 से अनधिक	22500	40300	48300	56400	77300	[illegible]	
5000 से अधिक	25800	43500	51500	59600	80500	[illegible]	

परन्तु यह कि कारखानो से लिये जाने वाले लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क में प्रत्येक 5 वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। आगामी वृद्धि दिनांक 01.01.2025 से प्रभावी होगी।

नियम–41 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 41 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियमः 41. सेनेटरी आवास– प्रत्येक कारखाने में शौचालय आवास किसी भी एक समय में लगे श्रमिकों की संख्या के लिये निम्न प्रकार से किया जायेगाः	नियम–41. शौचालय आवास– प्रत्येक कारखाने में शौचालय का प्रावधान निम्न प्रकार से किया जायेगा।
(क) जहां श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक नहीं है एक सीट	(क) कार्यरत श्रमिकों की संख्या 100 तक होने पर पुरूषों एवं महिलाओं हेतु प्रत्येक 25 श्रमिक पर न्यूनतम एक शौचालय, पृथक पृथक बनाया जायेगा। परन्तु प्रत्येक कारखाने में न्यूनतम 01 महिला एवं 01 पुरूष शौचालय अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

(ख) जहां श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक है, लेकिन 150 से अधिक नहीं है– चार सीट

(ख) ऐसे कारखाने जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत होंगे वहां अगले प्रत्येक 50 श्रमिकों पर न्यूनतम 01 महिला एवं 01 पुरूष शौचालय जैसी भी स्थिति हो अतिरिक्त रूप से प्राविधानित किया जायेगा।

(ग) जहां श्रमिकों की संख्या 150 से अधिक है, लेकिन 250 से अधिक नहीं है– 5 सीट

(ग) भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सेनटरी नैपकीन को उपयोग के लिए महिलाओं के शौचालय में उपलब्ध कराया जायेगा और उन्हें बनाये रखा जायेगा, और दैनिक आधार पर इसकी पूर्ति की जायेगी।

(घ) जहां श्रमिकों की संख्या 250 से अधिक है– प्रत्येक 50 पर एक सीट या 50 के अनुपात में।

(घ) इस्तेमाल किये गये नैपकीन के संग्रह के लिए महिलाओं के शौचालय के भीतर ढक्कन सहित डिब्बे प्रदान किये जायेंगे। उपयोग किये गये नैपकिन का निस्तारण निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

नियम–86 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नियम 86 में नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी श्रेणी (xxi) में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिया गया प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
कारखानों का वर्गीकरण	कार्य का प्रकार	कारखानों का वर्गीकरण	कार्य का प्रकार
(xxi) बिस्किट उत्पादन के कारखाने	वयस्क पुरूष श्रमिकों द्वारा कच्चे माल का मिश्रण तैयार करना, सेकना, सुखाना तथा उत्पादित बिस्किट की पैकिंग करना।	(xxi) बिस्किट, नूडल्स एवं पास्ता उत्पादन के कारखाने	वयस्क पुरूष श्रमिकों द्वारा कच्चे माल का मिश्रण तैयार करना, सेकना, सुखाना एवं उत्पादित बिस्किट, नूडल्स, तथा पास्ता की पैकिंग करना।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्याः–1572(1)/VIII/19–04(विविध)/2019–टी0सी0–II, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, को मा॰ श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 50 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner